भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51AC 867664

यह जनरल स्टाम्प पेपर .... [illegible]

.... [illegible]

जिला .... फाइल सं० ......

.... के साथ संलग्न है।

[illegible]

कर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स ... कानपुर (उ०प्र०)

सत्यमेव जयते

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... कानपुर

[illegible]

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम : इन्डियन सोसाइटी आफ पल्सेज रिर्सच एन्ड डेवलपमेन्ट
2.संस्था का पता : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आई0सी0ए0आर0)
कल्यानपुर, कानपुर–208 024, (उ0प्र0)
3संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष
4.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग–

भारतवर्ष एवं विदेशों में रहने वाले वह सारे कर्मचारी जो दलहन के अनुसंधान एवं विकास में रूचि रखते है समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकते है। समिति के अन्दर सामान्य सदस्य, विद्यार्थी सदस्य, आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य, संरक्षक सदस्य तथा सम्मानित सदस्य होगें।

आजीवन सदस्य

आजीवन सदस्यों के लिये 5000/– रूपये सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क 50/– देय होगा यह सदस्यता शुल्क एक साथ या 4 बराबर किस्तों में एक वर्ष के अन्दर देय होगा। विदेशों मे रहने वाले सदस्यों के लिये यह शुल्क यू0 एस0 350 डालर वार्षिक देय होगा।

सामान्य सदस्य

सामान्य सदस्यों को जो भारत वर्ष में रहते है, 50/–रूपये प्रवेश शुल्क तथा 500 रू0 प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क देय होगा और विदेश मे रहने वालों के लिये यह शुल्क यू0 एव0 40 डालर देय होगा।

पुस्तकालय या संस्थान सदस्यः–

पुस्तकालय या संस्थान सदस्यों को जो भारत वर्ष में है, 50/–रूपये प्रवेश शुल्क तथा 5000 रू0 प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क देय होगा और विदेश मे रहने वालों के लिये यह शुल्क यू0 एव0 300 डालर देय होगा।

कारपोरेट सदस्यः–

कारपोरेट सदस्यों को जो भारत वर्ष में है, 50/–रूपये प्रवेश शुल्क तथा 7500 रू0 प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क देय होगा।

अगर कोई सामान्य सदस्य अपनी सदस्यता शुल्क अदा नही करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी और ऐसे सदस्यों को समिति की ओर से उपलब्ध होने वाली समस्त सुविधायें बन्द कर दी जायेगी। परन्तु ऐसे सदस्य प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क देकर पुनः समिति के सदस्य बन सकते है।

वह लोग जो समिति के 5 साल तक लगातार सदस्य रहे है और जिन्होने दलहन के अनुसंधान और विकास कार्य में प्रशंसनीय एवं बहुमूल्य कार्य किया है। समिति की कार्य कारिणी समिति ऐसे सदस्यों को फेलो आफ इन्डियन सोसाइटी आफ पलसेज रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रदान करने के लिये विचार कर सकती है।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Secretary

Indian Soc. of Pulses Res. & Dev.

भारत वर्ष या विदेश में रहने वाला कोई भी वैज्ञानिक जिसने दलहन के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, समिति की प्रबन्धकारिणी समिति वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिये आनरेरी फेलो आफ इन्डियन सोसाइटी आफ पल्सेस रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट प्रदान करने के लिए विचार कर सकता है। ऐसे फैलो वैज्ञानिकों की संख्या एक समय में पॉच से अधिक नही होनी चाहिए।

5.सदस्यता की समाप्ति–

समिति का कोई भी सदस्य जो सदस्यता शुल्क अदा नही करेगा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी परन्तु ऐसे सदस्य दोबारा से प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क देकर समिति का सदस्य बन सकता है। किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सदस्यता समाप्त मानी जायेगी। ।

संस्था के अंग: 1.साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति 3. स्थानीय इकाईयॉ

गठन–

समिति के समस्त सदस्य साधारण सभा के सदस्य होते है।

बैठके–

1. साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। इस बैठक के लिये समिति के सचिव को अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करने के बाद बैठक की तिथि से एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।
2. साधारण सभा की बैठक का स्थान सामान्यतया वही रहेगा जहॉ अखिल भारतीय दलहन समन्वय उन्नत परियोजना की खरीफ अथवा रबी दलहनों का कार्यकारी गोष्ठी होगी।
3. वार्षिक साधारण सभा के अलावा, प्रबन्धकारिणी समिति और एडीटोरियन बोर्ड की बैठक भी होगी। जिसमें समिति के कार्यकलापों पर विचार और उनकी विवेचना की जायेगी। इस सभा में वैज्ञानिक अपने ऐसे शोध पत्रों को प्रस्तुत कर सकते है। जो कि कही छापे न गये हो। ऐसे शोध पत्रों का भावार्थ इन्डियन जनरल आफ पल्सेस रिसर्च के आने वाले में छापा जाएगा।
4. साधारण सभा के अध्यक्ष का जो भाषण होगा वही जनरल मे छापा जायेगा। समिति के कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। कोषाध्यक्ष समिति का आर्थिक स्थिति के विषय में साधारण सभा के सामने लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा।
5. कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विशेष सिमपोजियम या सेमिनार करने पर विचार कर सकती है।
6. सारी बैठको की अध्यक्षता समिति का अध्यक्ष ही करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कर सकता है।

सूचना अवधि–

साधारण सभा की सूचना सदस्यों को सभा कि निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व हो जानी चाहिए ।

गणपूर्ति–

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Secretary

Indian Soc. of Pulses Res. & Dev.

सदस्यों की एक तिहाई सदस्य संख्या ऐसी साधारण सभा की गणपूर्ति संख्या होगी जिसमें नीति के फैसले किये जा सकते है। ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि–

प्रबन्धकारिणी समिति आवश्यकतानुसार निर्धारित करेगी और सदस्यों को सूचना दे दे दी जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य

1.प्रबन्धकारिणी समिति एवं अन्य कार्यकताओं का चुनाव करना।
2.समिति के वार्षिक लेखा जोखा का एंव अन्य कार्य कलापों का अनुमोदन करना।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

प्रबन्धकारिणी समिति मे निम्नलिखि सदस्य होगे–

1. मुख्य संरक्षक डी0 जी0 आई0 सी0 ए0 आर0
2. सरंक्षक डी0डी0जी0 (सी0 एस0) आई0सी0ए0 आर0
3. अध्यक्ष
4.उपाध्यक्ष
5.सचिव
6. उपसचिव
7. कोषाध्यक्ष
8. मुख्य संपादक (संपादक प्रबन्धकारिणी समिति की सलाह से तीन सदस्यों का समूह बनायेगा)
9. परिषदः एक परिषद प्रत्येक कटिबन्ध प्रदेश से होगा (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण कटिबन्ध प्रदेश से)

चुनाव

1. मुख्य संपादक और संपादकों को छोडकर प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त कार्यकर्ताओं और परिषदों का चुनाव साधारण सभा करेगी।
2.सारे चुनाव गुप्त मत पत्रों द्वारा किये जायेगे और अधिकतम मतो के आधार पर परिणामं घोषित किये जायेगें।
3. प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा।
4. कोई भी चुना गया कार्यकर्ता लगातार 2 कार्य अवधियों से अधिक कार्य करने का अधिकारी नही होगा।
5. समिति का सचिव जो कि निर्वाचन अधिकारी होगा तीन साल बाद अप्रैल और नई माह के मध्य प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करेगा।
6. कम से कम चुनाव के 6 सप्ताह के पूर्व सचिव सदस्यों की घोषणा मनोनयन प्रपत्रों और समिति के सदस्यों की सही सूची के साथ कर देगा।
7. सही तरीके से प्रस्तावित और अनुमोदित मनोनयन प्रपत्रों की जॉच एक समिति करेगी। इस समिति के सदस्य, सचिव, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा समिति को मनोनीत सदस्य होगें मनोनीत प्रत्याशियों की सहमति मनोनीत प्रपत्रों के साथ होना जरूरी है। सभी सदस्यों का मनोनयन प्रपत्र वापस लेने के लिये 10 दिन का समय दिया जावेगा।
8. मत पत्र जिन पर प्रत्याशियों के नाम लिखे होगें सभी सदस्यों को वितरित कर दिये जायेगे।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिदेशक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट
कानपुर मण्डल, कानपुर

Secretary

9. मत पत्राके की गिनती एक समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति के पांच सदस्य होगे जिनका मनोनयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

10. यदि किसी एक पद के लिए दो प्रत्याशी समान मत प्राप्त करते है तो परिणामे की घोषणा मान्य पत्रक के आधार पर की जायेगी।

11. परिणामों की धोषणा वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकः–

गठनः– समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचन गुप्त मतो द्वारा होगा।

बैठक समिति का सचिव अध्यक्ष की सलाह पर जब चाहे आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति की बैठक बुला सकता है। कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में एक बार साधारण सभा की बैठक से पहले होना अनिवार्य है। अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की बैठक किसी भी समय बुला सकता है अध्यक्ष यह बैठक कार्यकारिणी समिति के एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर भी बुला सकता है।

गणपूर्तिः– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिये प्रबन्धकारिणी समिति के एक तिहाई सदस्यों का होना अनिवार्य है। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी आपात विषय पर सचिव की सलाह पर निर्णय ले सकता है। इस निर्णय का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा होना चाहिएं प्रत्येक बैठक की कार्यवाही प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को भेजी जानी चाहिए ताकि अगली बैठक में इनका अनुमोदन हो सके।

रिक्त स्थानों की पूर्तिः–

चुनाव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत।

कर्तव्यः–

समिति के समस्त कार्यकलापों का अवलोकन एवं सुचारू रूप से नियंत्रण करना।

3. स्थानीय इकाईयॉ

इन्डियन सोसाइटी आफ पल्सेज रिर्सच एन्ड डेवलपमेन्ट की कार्यकारिणी के अनुसार स्थानीय इकाइयों के कार्य निम्नवत होगें:–

1. सेमिनार, सेटेलाइट सिम्पोजियम, वैज्ञानिक बैठकों आदि का आयोजन करना।
2. विशिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान आदि का आयोजन करना।
3. दलहन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सम्मानित करना।
4. सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करना।

स्थानीय इकाइयों हेतु प्रारम्भिक अनुदान धनराशि

स्थानीय इकाइयॉ प्रारम्भिक अनुदान धनराशि रू0 20000/– से कार्य करना प्रारम्भ कर सकती है। स्थानीय इकाइयॉ सोसाइटी के सदस्यो सें सदस्यता शुल्क एकत्र करेगी। स्थानीय इकाइयों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे एकत्र धनराशि का 25 प्रतिशत अपने पास रखेगी शेष 75 प्रतिशत धनराशि कानपुर स्थित इन्डियन सोसाइटी आफ पल्सेज रिर्सच एन्ड डेवलपमेन्ट के खाते में जमा की जायेगी। कार्यकारिणी समिति के गठन के उपरान्त ही इकाइयो के लिये अलग से अनुदान देने का प्रावधान है। तद्उपरान्त इन्डियन सोसाइटी आफ पल्सेज रिर्सच एन्ड डेवलपमेन्ट की स्थानीय इकाई के नाम अलग से खाता खोलना सम्भव हो सकेगा।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Secretary

Indian Soc. of Pulses Res.& Dev

स्थानीय इकाइयों की कार्यकारिणी समिति

स्थानीय इकाइयॉ विधिवत गठित कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ सहयोग भाव से काम करेगी इसकी कार्यअवधि तीन वर्ष की होगीं।

नार्थ जोन, सेन्ट्रल जोंन एवं साउथ जोन के लिये स्थानीय इकाइयॉ निम्नवत गठित की गयी हैः–

1. नार्थ जोन इकाई, पी0ए0यू0, लुधियाना
2. सेन्ट्रल जोन इकाई, जे0एन0के0वी0वी0, जबलपुर
3. साउथ जोन इकाई, यू0ए0एस0 बैंगलूरू / यू0ए0एस0, रायचूर

काउन्सलर्स

जोन–1	डा0 बृज नन्दन, एस0के0यू0ए0टी0, सांबा
जेन–2	डा0 सी0 भारद्वाज, आई0ए0आर0 आई0, नई दिल्ली
जोन–3	डा0 राजीब नाथ, बी0सी0के0वी, कल्यान, वेस्ट बाम्बे
जोन–4	डा0 ओ0 पी0 खेडार, दुर्गापुरा, जयपुर
जोन–5	डा0 डी0 के0 पाटिल, बदनापुर
जोन–6	डा0 वी0 जयलक्ष्मी, नानदयाल
जोन–7	डा0 पी0 जयमनी, टी0एन0ए0यू0, कोयम्बटूर
जोन–8	डा0 देवराज मिश्रा, कानपुर

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

अध्यक्षः–

1.समिति की प्रबन्धकारिणी समिति एवं सामान्य सभाओं का संचालन करना।
2. कार्यकारिणी (प्रबन्धकारिणी) समिति के रिक्त स्थानों की अन्तरिम पूर्ति करना जब तक पुनः निर्वाचन न हो।
3. समस्त राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय गोष्ठीयों मे जो दलहन से सम्बन्धित हो, समिति की ओर से भाग लेना।
4. अध्यक्ष किसी भी समय प्रबन्धकारिणी समिति की सभा बुला सकता है।

उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का सारा कार्यभार देखना।

सचिवः–:

1. समिति का दैनिक कार्यकलाप एवं सम्बन्धित विवरण पुस्तकाओं का देखना एवं उनका रख रखाव करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति एवं साधारण सभा के लिये एजेन्डा तैयार करना।
3. प्रबन्धकारिणी एवं साधारण बैठकों का कार्यकलाप लिखना तथा उनको सदस्य के मध्य लिखित रूप में विवरण करना।

सहायक सचिवः–

सचिव की सहायता करना।

कोषाध्यक्षः–

वरिष्ठ सहायक

Secretary

Indian Soc. of Pulses Res.& Dev

सचिव के साथ मिलकर बैंक के खातों का संचालन करना, समिति के लेखा जोखा खातों का संचालन करना एवं उनका वार्षिक आडिट करना ओर लेखा जोखा का प्रनन्धकारिणी एवं साधारण सभाओं की बैठकों में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया–

प्रबन्धकारिणी एवं साधारण सभा की सहमति से ही संशोधन हो सकता है

11.संस्था का कोष–कोषाध्यक्ष करेगा

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षणः– चाटर्ड एकाउन्टेन्ट करेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व :– सचिव पर होगा।

14.संस्था के अभिलेख :–

1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवाही रजिस्टर 3.स्टाक रजिस्टर 4.कैश बुक, 5. रसीद बुक

15..संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिंनाकः– 30/9/14

हस्ताक्षर C.M.P. Singh

Indian Soc. of Pulses Res. & Dev.

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर/मण्डल कानपुर

30/9/14

Secretary

Indian Soc. of Pulses Res. & Dev.